



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164793

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 14806 वर्ष 2007

ओम प्रकाश राय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:

न्यायालय संख्या - 34

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता श्री अवध नारायण राय तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को सुना गया।
2. दिनांक 22.07.2026 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

“1. राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित निर्देश अभिलेख पर ले लिए गए हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता श्री अवध नारायण राय तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को सुना गया।”

3. दिनांक 13.07.2001 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया गया था, जहां याचिकाकर्ता 42वीं वाहिनी, पी.ए.सी., इलाहाबाद में आरक्षी के पद पर कार्यरत था। आक्षेपित आदेश में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अवज्ञा किए जाने के कृत्य के पश्चात् उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों के अधीनस्थ श्रेणी (दंड एवं अपील) नियमावली, 1991 (संक्षेप में '1991 की नियमावली') के नियम 14(1) के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी और जांच अधिकारी ने दिनांक 25.06.2001 को अपनी रिपोर्ट/निष्कर्ष प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात् कारण बताओ नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को भेजा गया और उक्त नोटिस की तामील उसके घर जाकर किए जाने के बावजूद, चूंकि उसकी ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तथापि, दिनांक 25.06.2001 की जांच रिपोर्ट की प्रति न तो याचिकाकर्ता द्वारा और न ही प्रतिवादियों द्वारा प्रति-शपथपत्र में अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश पारित किए जाने से पूर्व 1991 की नियमावली के नियम 14(1) के अंतर्गत कोई जांच कभी संचालित ही नहीं की गई थी।

4. ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्तमान मामले में हुई जांच कार्यवाही का संपूर्ण अभिलेख इस न्यायालय के समक्ष भेजें, ताकि यह सत्यापित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किया जा सके कि सेवा से हटाए जाने का आदेश पारित किए जाने से पूर्व 1991 की नियमावली के नियम 14(1) के अंतर्गत कोई कार्यवाही की गई थी अथवा नहीं। ऐसा न किए जाने की स्थिति में प्रतिवादी संख्या 4 को अगली सूचीबद्ध तिथि पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। प्रतिवादी दिनांक 25.06.2001 की जांच रिपोर्ट की प्रति भी अभिलेख पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. इस मामले को दिनांक 06.08.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।“

3. इसके प्रत्युत्तर में, मूल अभिलेख इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका इस न्यायालय द्वारा विधिवत् परिशीलन किया गया तथा दिनांक 05.08.2006 को प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से एक शपथपत्र भी दाखिल किया गया, जिसके द्वारा आरोप-पत्र, जांच रिपोर्ट, कारण बताओ नोटिस आदि की प्रतियां भी अभिलेख पर प्रस्तुत की गईं।
4. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 13.07.2001 के आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई थी, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों के अधीनस्थ श्रेणी (दंड एवं अपील) नियमावली, 1991 (संक्षेप में '1991 की नियमावली') के नियम 14(1) के अंतर्गत जांच किए जाने के पश्चात् याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों द्वारा क्रमशः अपील एवं पुनरीक्षण में पारित दिनांक 31.07.2001, 31.07.2002 एवं 11.06.2003 के आदेशों को भी चुनौती दी है, जिनके द्वारा अपील एवं पुनरीक्षण दोनों निरस्त कर दिए गए थे। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान मूल याचिकाकर्ता ओम प्रकाश राय की दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



28.08.2010 को मृत्यु हो गई तथा उनके विधिक उत्तराधिकारियों, अर्थात् उनकी पत्नी एवं पुत्रों को दिनांक 16.04.2018 के आदेश द्वारा अभिलेख पर प्रतिस्थापित किया गया।

5. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क यह है कि 1991 की नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत निर्धारित कोई जांच कभी संचालित नहीं की गई और सीधे कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् दिनांक 13.07.2001 का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया, जिसके द्वारा मूल याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। यहां तक कि पिछली सुनवाई की तिथि पर भी याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि न तो आरोप-पत्र की प्रति मूल याचिकाकर्ता को कभी तामील की गई और न ही जांच रिपोर्ट की प्रति उसे प्रदान की गई तथा न ही 1991 की नियमावली के नियम 14 के अनुसार कोई जांच कभी संचालित की गई। अतः याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 13.07.2001 के दंडादेश तथा अपीलीय एवं पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।
6. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल अभिलेख से यह स्पष्ट है कि दिनांक 24.04.2001 को 1991 की नियमावली के नियम 14(1) के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किया गया था और उक्त आरोप-पत्र की प्रति मूल याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 25.01.2001 को प्राप्त की गई थी तथा उक्त आरोप-पत्र प्राप्त होने के बावजूद उसने उसका कोई उत्तर प्रस्तुत करना उचित नहीं समझा। तत्पश्चात्, जांच अधिकारी ने एकपक्षीय रूप से जांच कार्यवाही आगे बढ़ाई तथा याचिकाकर्ता को जांच के लिए दिनांक, समय एवं स्थान निर्धारित करते हुए विधिवत् नोटिस जारी किए गए। दिनांक 02.05.2001 को मूल याचिकाकर्ता पर उक्त नोटिस की तामील के लिए नोटिस भेजा गया और तामीलकर्ता ने रिपोर्ट दी कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक 12.05.2001 को वह याचिकाकर्ता के घर गया, जहां याचिकाकर्ता अपने घर पर उपस्थित था, किंतु उसने दिनांक 02.05.2001 के नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अतः उक्त टिप्पणी के साथ नोटिस वापस कर दिया गया। तत्पश्चात्, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच पूर्ण की और दिनांक 27.06.2001 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस के साथ जांच रिपोर्ट की प्रति भी याचिकाकर्ता को भेजी गई। जब आरक्षी उक्त कारण बताओ नोटिस तथा जांच रिपोर्ट की प्रति तामील कराने के लिए याचिकाकर्ता के घर गया, तो घर पर ताला लगा हुआ था। तत्पश्चात्, ग्राम प्रधान की उपस्थिति में कारण बताओ नोटिस तथा जांच रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता के घर के सामने चस्पा कर दी गई। निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न होने पर, आक्षेपित सेवा-समाप्ति का आदेश पारित कर दिया गया।

7. उपर्युक्त तथ्यों से, जैसा कि मूल अभिलेख से स्पष्ट है, यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध बर्खास्तगी का आदेश पारित किए जाने से पूर्व 1991 की नियमावली के नियम 14(1) में निर्धारित विधि का समुचित रूप से पालन किया गया था। प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए उक्त स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के बावजूद, वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि 1991 की नियमावली के नियम 14(1) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, क्योंकि न तो आरोप-पत्र की प्रति याचिकाकर्ता को तामील की गई और न ही जांच रिपोर्ट की प्रति कभी याचिकाकर्ता को तामील की गई। अतः याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया यह पक्ष अभिलेख के विपरीत है और उक्त तर्क केवल संदेह उत्पन्न करने तथा वर्तमान कार्यवाही में अनुचित लाभ प्राप्त करने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के उद्देश्य से उठाया गया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तर्क, जैसा कि उल्लेख किया गया है, कार्यवाही के अभिलेख के विपरीत हैं, जिसका इस न्यायालय द्वारा मूल अभिलेख से परिशीलन किया गया है। अतः, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध सेवा-समाप्ति का आदेश पारित करने में अपनाई गई प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं है।

8. ऐसी स्थिति में, चूंकि याचिकाकर्ता ने बिना किसी आधार के इस न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है, अतः वर्तमान याचिका 50,000/- रुपये के वाद-व्यय के साथ निरस्त की जाती है, जिसे चार सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के समक्ष जमा किया जाएगा। ऐसा न किए जाने की स्थिति में उक्त धनराशि याचिकाकर्ता के विधिक उत्तराधिकारियों से उसकी भू-संपत्ति से वसूल की जाएगी। इस प्रकार जमा की गई वाद-व्यय की धनराशि का उपयोग उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा अपने सामान्य व्ययों में किया जाएगा।
9. आज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल अभिलेख विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को इस निर्देश के साथ वापस किया जाता है कि वे इसे संबंधित विभाग को वापस कर दें।

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)

दिनांक: 06 अगस्त, 2026

एन. यू.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”